राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/5887 दिनांक : 03/09/2021

## आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 हेतु सलाहकार, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की आयोजित विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रम में अभियान के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं यथा कृषि भूमि नियमन पट्टे, कच्ची बस्ती/स्टेट ग्रान्ट पट्टे, उपविभाजन/पुनर्गठन, भवन निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण आदि को सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के माध्यम से एकीकृत पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है, जिसके लिए नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग व सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के मध्य MOU निष्पादित किया जा चुका है।

अतः उक्त अभियान के दौरान नगरीय निकायों में ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए निर्देशानुसार निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. राज्य के सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों में सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाकर उनका ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ही निस्तारण किया जावेगा।
2. राज्य में गत वर्षो में नवगठित 17 नगर पालिकाओं में आवश्यक संसाधनों की कमी के दृष्टिगत इन नगर पालिकओं को offline प्रक्रिया द्वारा प्रकरणों का निष्पादन करने हेतु छूट प्रदान की जाती है।
3. शेष नगर पालिकाओं द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन इनकों ऑनलाईन प्रक्रिया के मध्यवर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान करते हुए आंशिक offline प्रक्रिया अपनाने की अनुमति होगी। लेकिन आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने के उपरान्त जमा राशि का इन्द्राज ऑनलाईन करना तथा स्वीकृति पत्र/पट्टे की प्रतिलिपी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 15888–16114 दिनांक : 03/09/2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशेषाधिकारी, डॉ. गुरूदयाल सिंह संधू, सलाहकार, यूडीएच एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
07. समस्त, आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, राजस्थान को उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु।
08. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
09. रक्षित प्रति।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक